राजस्थान सरकार

ऊर्जा विभाग

क्रमांक प. 22(17)ऊर्जा/17 जयपुर, दिनांक- 1 DEC 2017

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की धारा 180 की उप-धारा (2) के खण्ड (ण) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 के उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय (तकनीकी समिति का गठन और अनुज्ञप्ति, कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी) नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय (तकनीकी समिति का गठन और अनुज्ञप्ति, कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची-1का संशोधन.-** राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय (तकनीकी समिति का गठन और अनुज्ञप्ति, कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी) नियम, 2016 की अनुसूची-1 के क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति **"वर्ग क:-"** के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति " "ख या "ग" वर्ग " के पूर्व, अभिव्यक्ति "या तो राजस्थान विद्युत निरीक्षणालय (तकनीकी समिति का गठन और अनुज्ञप्ति, कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र और कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र की मंजूरी) नियम, 2016 के प्रारम्भ की तारीख पर या उससे पूर्व राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (रा.वि.प्र.नि.लि.) द्वारा ई-1 वर्ग ठेकेदार के रूप में रजिस्ट्रीकृत या" अन्तःस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से

(गोपाल जसोरिया)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Energy Department

No. F. 22(17)Energy/17 Jaipur, Dated 1 DEC 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) and sub-regulation (1) of regulation 29 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Electrical Inspectorate (Formation of Technical Committee and Grant of Licence, Competency Certificate to work and Permit to work) Rules, 2016, namely:-

1.Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Electrical Inspectorate (Formation of Technical Committee and Grant of Licence, Competency Certificate to work and Permit to work) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of Schedule-I.- In column 2 against serial number 1 of Schedule-I of the Rajasthan Electrical Inspectorate (Formation of Technical Committee and Grant of Licence, Competency Certificate to work and Permit to work) Rules, 2016, after the existing expression "Public limited company" and before the existing expression "having at least 3 years of experience", the expression, " either registered as E-1 class contractor by Rajasthan Vidyut Prasaran Nigam Limited (RVPNL) on or before the date of commencement of the Rajasthan Electrical Inspectorate (Formation of Technical Committee and Grant of Licence, Competency Certificate to work and Permit to work) Rules, 2016 or", shall be inserted.

By Order of the Governor,

(signature)

(Gopal Jasoria)
Senior Deputy Secretary to the Government

KS-I-2 363